तारिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

F.S.S.Act Case No. 32/2024

नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

20.11.2024

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी अर्जुन सिंह पुत्र पहाड़सिंह जी, जाति– राजपूत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी पार्लर, उदयपुर रोड़, पिण्ड़वाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दहिया उपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.9.2023 को फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी पार्लर, उदयपुर रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी अर्जुनसिंह पुत्र पहाड़सिंह जी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) का नमूना संख्या S-2211 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2599/Act/2023/2630 दिनांक 05.10.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अर्जुनसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दहिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 20.11.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें ने बहस के दौरान प्रतिवादी के लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है तथा न ही न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कार्यवाही प्रतिवादी अभियुक्त के सामने की गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी, उदयपुर रोड़, पिण्ड़वाडा में फर्म के मालिक दीपक सिंह से दूध के पैकिंग पाउच का नमूना लिया था, लेकिन फर्म के प्रोपराईटर दीपक सिंह के विरुद्ध कार्यवाही नही करके प्रतिवादी अर्जुनसिंह जो उक्त फर्म में प्रतिवाह वेतन से नौकरी करता है के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है, जो विधि विरुद्ध है। यह कि प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा दूध की न तो पेकिंग की गई हे व न ही इसमें कोई मिलावट की गई है। उक्त दूध सरस गोल्ड ब्राण्ड का है एवं निर्माता द्वारा उक्त दूध के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पाउच की पैकिंग की गई है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 21.9.2023 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी पार्लर, उदयपुर रोड़, पिण्ड़वाडा,

.....लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 32/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

तहसील–पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी पार्लर, उदयपुर रोड़, पिण्ड़वाडा में खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत प्रतिवादी अर्जुनसिंह पुत्र पहाड़सिंह जी राजपूत उपस्थित मिले। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी पार्लर, उदयपुर रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान सारणेश्वर दूध डेयरी पार्लर, उदयपुर रोड़, पिण्ड़वाडा की दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के 10 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 500 एम.एल.) में मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के 4 पैक्ड पाउचों (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधि अनुरुप कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के नमूना संख्या S-2211 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2599/Act/2023/2630 दिनांक 05.10.2023 में अमानक (sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी शंकर सिंह ने खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अर्जुनसिंह पुत्र पहाड़सिंह जी, जाति–राजपूत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी पार्लर, उदयपुर रोड़, पिण्ड़वाडा ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अर्जुनसिंह पुत्र पहाड़सिंह जी, जाति–राजपूत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी पार्लर, उदयपुर रोड़, पिण्ड़वाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला–सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी अर्जुनसिंह पुत्र पहाड़सिंह जी, जाति–राजपूत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर दूध डेयरी पार्लर, उदयपुर रोड़, पिण्ड़वाडा को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 20.12.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.